लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4968
दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारंपरिक हथकरघा का संरक्षण

4968. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संबलपुरी, बोमकाई और ढोकरा कला जैसे पारंपरिक हथकरघा डिजाइनों को नकल और बड़े पैमाने पर उत्पादन से संरक्षण देने के लिए पहल की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा में विरासती वस्त्र उत्पादन में लगे बुनकरों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) दुर्लभ एवं पारंपरिक बुनाई तकनीकों को पुनर्जीवित करने के लिए कारीगरों को प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओडिशा के पारंपरिक वस्त्रों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग संरक्षण और ब्रांडिंग समर्थन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) एवं (घ): वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) योजना के तहत अखिल भारतीय हथकरघा उत्पादों के संबंध में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (जीआई) (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 के प्रावधान को बढ़ावा देता है। उपरोक्त योजना के तहत डिजाइनों/उत्पादों के पंजीकरण, कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जी.आई. पंजीकरण के प्रभावी प्रवर्तन में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह अधिनियम वस्तुओं आदि के जी.आई. को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है तथा अन्यों द्वारा इनके अनाधिकृत उपयोग को रोकता है। जीआई पंजीकृत सामान के डुप्लिकेट उत्पाद के उत्पादन संबंधी किसी भी उल्लंघन के मामले में, अधिकृत उपयोगकर्ता अधिनियम के तहत उपलब्ध सिविल और आपराधिक उपायों का सहारा ले सकते हैं।

अब तक, संबलपुरी बांध साड़ी और फैब्रिक तथा बोमकई साड़ी और फैब्रिक सहित ओडिशा के 09 हथकरघा उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जो जीआई अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत कुल 104 हथकरघा उत्पादों में से है।

(ख): चौथी भारत हथकरघा संगणना 2019-20 के अनुसार, ओडिशा में हेरिटेज वस्त्र उत्पादन (हथकरघा) में 1,17,836 हथकरघा कामगार कार्यरत हैं।

(ग): वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करके ओडिशा सहित देश के हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देता है:

(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;

(ii) कच्चा माल आपूर्ति योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत योग्य हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, कौशल, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना (टेक्निकल एंड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर), घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ओडिशा सहित देश भर में समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) के तहत बुनाई सहित दुर्लभ और पारंपरिक बुनाई तकनीक, रंगाई/छपाई, डिजाइनिंग आदि तकनीकी क्षेत्रों में हथकरघा कामगारों के लिए आवश्यकता-आधारित कौशल उन्नयन कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान "समर्थ योजना" के अंतर्गत 748 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 1,400 लाभार्थियों को कवर करने वाले 4 क्लस्टर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 200.35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

****